18/12/24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर पृथक से विस्तृत निर्णय अंकित से निर्णय पारित शामिल किया जावे। नकल दी जावे।

निर्णय सुनाया गया।

GCMS
2024/336

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:10:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारीः संदीप कुमार आर. ए. एस.

प्रकरण सं0 142/24 GCMS:- 2024/336 **दायर दिनांकः– 07–06–2024**

कमला देवी पत्नी श्री राजकुमार जाति ब्राहम्ण साकिन जैतसर तहसील श्री विजयनगर जिला अनुपगढ राज0

––––प्रार्थीया

बनाम

1– कृष्णलाल पुत्र श्री पुराराम जाति मेघवाल साकिन जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ

2–आत्माराम पुत्र श्री जीतराम जाति मेघवाल साकिन 3 एल सी तहसील श्री विजयगनर

3–ईमीलाल पुत्र श्री धोकलराम
4– छोटूराम पुत्र श्री धोकलराम
5– हनुमान पुत्र श्री धोकलराम
6–बंसीलाल पुत्र श्री रामकुमार
7–लालचन्द पुत्र श्री रामकुमार
} अकवाम मेघवाल साकिनान 1 एस टी बी तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

8–नरसीराम पुत्र श्री माडुराम जाति मेघवाल साकिन 4 जे ढस डी बुगिया तहसील श्री विजयगनर जिला अनुपगढ राज0

9–सतपाल उर्फ संतराम पुत्र श्री सोहनलाल जाति मेघवाल साकिन चमार खोड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर राज0

10–कृष्णराम पुत्र श्री कबीरा
11– जगसीर पुत्र श्री कबीरा
12–पृथ्वीराम पुत्र श्री कबीरा
13–साहबराम पुत्र कबीरा
14–रामप्यारी पत्नी कबीरा
15–रामप्रताप पुत्र कबीरा
16–रामेश्वर पुत्र कबीरा
17–सुआदेवी पुत्री कबीरा
18–पारती देवी पुत्री कबीरा
} अकवाम ओड़ साकिनान फरीदसर तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

19– राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ ।

–––अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) , 209 आर टी ए

उपस्थित :–

1– श्री राजवीर भादू अभिभाषक प्रार्थी

2– पैराकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ ।

–:– निर्णय –:– दिनांकः– 18.12.2024

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार राज उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया के नाम से वाके चक 1 एस टी बी तहसील सूरतगढ के खाता सं0 13/7 के प0 न0 113/362 मु0न0 80 के किला नं0 1 ता 15/3.795 है0 कमाण्ड/ अनकमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है । अप्रार्थी न0 1 के नाम से संयुक्त खाते की भूमि वाके चक 1 एस टी बी तहसील सूरतगढ के संयुक्त खाता सं0 [illegible] के प0 न0 112/361 मु0न0 78 के किला न0 1–2/0.506 है0 , 3/1 में 0.127 है, [illegible] में [illegible]15 है0 , 9/0.253 है0 , 10/2 में 0.164 है0 = 1.265 है0 कमाण्ड [illegible] प0न0 117/355 मु0न0 [illegible] किला न0 2 ता 9 /2.024 है0 , 13 ता 181.518 है0 , 24/2 में 0.228 है0 , 25/2 में 0.[illegible] है0 = 3.745 है0 कुल 5.010 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि में 158/2505 हिस्सा भूमि दर्ज रिकार्ड [illegible]र वाके है । अप्रार्थी न0 10 ता 18 के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:10:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

से भूमि वाके चक 1 एस टी बी तहसील सूरतगढ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के संयुक्त खाता सं0 54/82 के प0 न0 113/361 मु0न0 77 के किला न0 1 ता 25/6.325 है0 कमाण्ड , प0न0 114/361 मु0न0 76 के किला नं0 3/1 ता 9, 13 ता 18, 23/1 ता 25/1 में 3.973है0 कमाण्ड मय खाला कुल 10.298 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है। अप्रार्थी न0 1 ने अपनी खातेदारी भूमि वाके चक 1 एस टी बी तहसील सूरतगढ के प0न0 112/361 के किला न0 8/1 में प्रार्थीया को अपनी सहमति व रजामन्दी से टयुबैल लगाया गया है । उक्त टयुबैल से प्रार्थीया ने अपनी खातेदारी भूमि तक पाईप लाईन बिछाकर अपनी खातेदारी भूमि वाके चक 1 एस टी बी तहसील सूरतगढ के खाता सं0 13/7 के प0 न0 113/362 मु0न0 80 के किला नं0 1 ता 15/3.795 है0 कमाण्ड/ अनकमाण्ड खातेदारी भूमि में लगातार 6 वर्षो से सिचित किया जा रहा है। जिसमें अप्रार्थी नं0 1 द्वारा सहमति–पत्र भी दिया गया है। प्रार्थीया अपनी उक्त खातेदारी भूमि में अप्रार्थी न0 1 की भूमि में लगे टयुबैल का पानी भूमि वाके चक 1 एस टी बी तहसील सूरतगढ के प0 न0 112/361 मु0न0 78 के किला न0 8/1, 9 , 10/2 से अप्रार्थी सं0 10 ता 18 की भूमि चक 1 एस टी बी तहसील सूरतगढ के प0न0 113/361 के किला नं0 5–6–15–16–25 तक 5फुट गहरी भूमिगत पाईप लाईन बिछा कर अपनी उक्त भूमि चक 1 एस टी बी तहसील सूरतगढ के प0न0 113/362 के किला न0 5 में पानी लाकर पिछले 6 वर्षो से कास्त की जा रही हैं। जिसमें अप्रार्थी न0 10 ता 16 की सहमति दी गई थी । प्रार्थीया ने अपनी खातेदारी भुमि तक 5 फुट गहरी पाईप बिछाई गई है जिससे पक्षकार को कोई नुकसान नही होता है। प्रार्थीया द्वारा 5फुट गहरी पाईप बिछाने के लिए आपसी सहमति के कारण मन्जूरी नही ली गई है । परन्तू अब अप्रार्थी न0 10 ता 16 के मन में बदयन्ती आने के कारण आये दिन प्रार्थीया को परेशान किया जा रहा है । तथा भविष्य में प्रार्थीया की बिछाई गई पाईप लाईन को नुकसान पहुचाया जा सकता है । इसलिए प्रार्थीया भूमि वाके चक 1 एस टी बी के प0 न0 112/361 मु0न0 78 के किला नं0 8/1, 9 , 10/2, प0न0 113/361 के किला नं0 5–6–15–16–25 तक 5फुट गहरी भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जा चुकी है । जिसकी स्वीकृति प्रदान करने का निवेदन करता है ।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 251 (क) एवं राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 68–71 के अन्तर्गत पाईप लाईन की स्वीकृति के सम्बन्ध में उक्त प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की चाही गई रिपोर्ट तहसीलदार राजस्व सूरतगढ एवं पटवारी हल्का फरीदसर द्वारा मौका जांच रिपोर्ट तैयार कर भिजवाई गई।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया । अप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड सम्मन के उपरान्त भी उपस्थित नही आये उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई ।

प्रार्थीया के अभिभाषक ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीया के नाम से वाके चक 1 एस टी बी तहसील सूरतगढ के खाता सं0 13/7 के प0 न0 113/362 मु0न0 80 के किला नं0 1 ता 15/3.795 है0 कमाण्ड/ अनकमाण्ड खातेदारी भूमि , अप्रार्थी न0 1 के नाम से संयुक्त खाते की भूमि वाके चक 1 एस टी बी तहसील सूरतगढ के संयुक्त खाता सं0 54/82 की कुल 5.010 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि में 158/2505 हिस्सा भूमि एवं अप्रार्थी न0 10 ता 18 के नाम से भूमि वाके चक 1 एस टी बी तहसील सूरतगढ के संयुक्त खाता सं0 54/82 में कुल 10.298 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है। अप्रार्थी न0 1 ने अपनी खातेदारी भूमि वाके चक 1 एस टी बी तहसील सूरतगढ के प0न0 112/361 के किला न0 8/1 में प्रार्थीया को अपनी सहमति व रजामन्दी से टयुबैल लगाया गया है । उक्त टयुबैल से प्रार्थीया ने अपनी खातेदारी भूमि तक पाईप लाईन बिछाकर अपनी खातेदारी भूमि वाके चक 1 एस टी बी तहसील सूरतगढ के खाता सं0 13/7 के प0 न0 113/362 मु0न0 80 के किला न0 1 ता 15/3.795 है0 कमाण्ड/ अनकमाण्ड खातेदारी भूमि में लगातार 6 वर्षो से सिंचित किया जा रहा है। जिसमें अप्रार्थी नं0 1 द्वारा सहमति–पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:10:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

भी दिया गया है । प्रार्थीया अपनी उक्त खातेदारी भूमि में अप्रार्थी न0 1 की भूमि में लगे टयुबैल का पानी भूमि वाके चक 1 एस टी बी तहसील सूरतगढ के प0 न0 112/361 मु0न0 78 के किला न0 8/1, 9 , 10/2 से अप्रार्थी सं0 10 ता 18 की भूमि चक 1 एस टी बी तहसील सूरतगढ के प0न0 113/361 के किला नं0 5-6-15-16-17-23 तक 5फुट गहरी भूमिगत पाईप लाईन बिछा कर अपनी उक्त भूमि चक 1 एस टी बी तहसील सूरतगढ के प0न0 113/362 के किला न0 5 में पानी लाकर पिछले 6 वर्षो से कास्त की जा रही हैं। जिसमें अप्रार्थी न0 10 ता 16 की सहमति दी गई थी । जिसके पश्चात प्रार्थीया ने अपनी खातेदारी भुमि तक 5 फुट गहरी पाईप बिछाई गई है जिसकी रिपोर्ट तहसीलदार एव पटवारी हल्का के द्वारा भी दी गई है । अप्रार्थीगण को कोई नुकसान नही हो रहा है। प्रार्थीया द्वारा 5फुट गहरी पाईप बिछाने के लिए आपसी सहमति के कारण मन्जूरी नही ली गई है । परन्तू अब अप्रार्थी न0 10 ता 16 के मन में बदयन्ती आने के कारण आये दिन प्रार्थीया को परेशान किया जा रहा है । तथा भविष्य में प्रार्थीया की बिछाई गई पाईप लाईन को नुकसान पहुचाया जा सकता है । इसलिए प्रार्थीया भूमि वाके चक 1 एस टी बी के प0 न0 112/361 मु0न0 78 के किला नं0 8/1, 9 , 10/2, प0न0 113/361 के किला नं0 5-6-15-16-17-23 तक 5फुट गहरी भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जा चुकी है । जिसकी स्वीकृति प्राप्त करने की प्रार्थीया कानूनन पात्र है ।

प्रार्थी की बहस ध्यान पूर्व सुनने एवं प्रार्थना-पत्र पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावैजो का गहनता से पठन व मनन किया गया । प्रार्थीया मुताबिक राजस्व रिकार्ड खातेदार कास्तकार है तथा प्रार्थीया ने अपनी खातेदारी भूमि में पानी लगाने के लिए भूमि वाके चक 1 एस टी बी के प0 न0 112/361 मु0न0 78 के किला न0 8/1, 9 , 10/2, प0न0 113/361 के किला न0 5-6-15-16-17-23 तक 5फुट गहरी भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जा चुकी है । जिसकी सहमति अप्रार्थी सं0 1 एवं 10 ता 18 द्वारा पूर्व में दी जा चुकी है । तहसीलदार एव पटवारी हल्का के द्वारा भी उक्त तथ्यों को रिपोर्ट के जरिये सत्यापित किया जा चुका है । इसलिए उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है ।

उक्त विवेचना अनुसार प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि वाके चक 1 एस टी बी के प0 न0 112/361 मु0न0 78 के किला न0 8/1, 9 , 10/2, प0न0 113/361के किला न0 5-6-15-16-17-23 तक 5फुट गहरी भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जा चुकी है जिसकी प्रार्थीया को डी एल सी की 10 प्रतिशत राशि प्रत्येक बिघा में 4 फुट चौड़ाई एवं 165 फुट लम्बाई के हिसाब से राजस्व कोष में जमा करवाने के उपरान्त उक्त पाईप लाईन कि स्वीकृत के आदेश दिये जाते है । पत्रावली वाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

(सदीप कुमार)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ (राज.)
(श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:10:11 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर

क्रमांक / 142/24/ 18.12.2024/ 9309 दिनांक :– 18.12.2024

तहसीलदार राजस्व
सूरतगढ

विषय :– अनवान कमला बनाम कृष्णलाल वगैरा में जारी आदेश की पालना रिपोर्ट भिजवाने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त अनवान कमला बनाम कृष्णलाल वगैरा पत्रावली धारा 251 क राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत में दिये गये आदेश दिनांक 18.12.2024 के मुताबिक चक 1 एस टी बी के प0 न0 112/361 मु0न0 78 के किला न0 8/1, 9 , 10/2, प0न0 113/361के किला न0 5–6–15–16–17–23 तक 5फुट गहरी भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जा चुकी है जिसकी प्रार्थीया को डी एल सी (DLC) दर की 10 प्रतिशत राशि प्रत्येक बिघा में 4 फुट चौड़ाई एवं 165 फुट लम्बाई के हिसाब से राजस्व कोष में जमा करवाने के उपरान्त उक्त पाईप लाईन कि स्वीकृत के आदेश दिये जाते है की पालना कर किसी समक्ष न्यायालय द्वारा कोई स्थगन नही होने पर रिपोर्ट भिजवाई जावे ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

उप खण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:10:11 IST
Reason: SelfAttested